

प्रेस विज्ञप्ति

अक्टूबर, 2020 - मार्च, 2021 की विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों का निर्गमन कैलेण्डर

सांस्थानिक तथा फुटकर निवेशकों को अपने निवेश के दक्षतापूर्वक नियोजन हेतु सक्षम बनाने और सरकारी प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता तथा स्थायित्व लाने की दृष्टि से, राजकोषीय वर्ष 2020-2021 (01 अक्टूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक) के उत्तरार्ध हेतु दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गमन के लिए निर्देशात्मक कैलेण्डर को, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श कर तैयार किया गया है।

जैसा कि कैलेण्डर से स्पष्ट है, भारत सरकार के उधार कार्यक्रम के उत्तरार्ध जनवरी 2021 तक पूरा होना अपेक्षित है जिससे राज्य सरकारों के उधार संबंधी कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालन के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

निर्गमन कैलेण्डर निम्नानुसार है:

भारत सरकार का दिनांकित प्रतिभूति निर्गमन कैलेण्डर
(01 अक्टूबर, 2020 - 31 मार्च, 2021 तक)

क्र. सं.	नीलामी का सप्ताह	राशि (करोड़ रुपये)	प्रतिभूति-वार आबंटन
1	05 -09 अक्टूबर, 2020	28,000	i) 02 वर्षीय ₹ 3,000 करोड़ के लिए
			ii) 10 वर्षीय ₹ 13,000 करोड़ के लिए
			iii) एफआरबी ₹ 3,000 करोड़ के लिए
			iv) 40 वर्षीय ₹ 9,000 करोड़ के लिए
2	12 - 16 अक्टूबर, 2020	28,000	i) 05 वर्षीय ₹ 8,000 करोड़ के लिए
			ii) 14 वर्षीय ₹ 12,000 करोड़ के लिए
			iii) 30 वर्षीय ₹ 8,000 करोड़ के लिए
3	19 - 23 अक्टूबर, 2020	27,000	i) 02 वर्षीय ₹ 3,000 करोड़ के लिए
			ii) 10 वर्षीय ₹ 12,000 करोड़ के लिए
			iii) एफआरबी ₹ 3,000 करोड़ के लिए
			iv) 40 वर्षीय ₹ 9,000 करोड़ के लिए
4	26-30 अक्टूबर, 2020	27,000	i) 05 वर्षीय ₹ 8,000 करोड़ के लिए
			ii) 14 वर्षीय ₹ 12,000 करोड़ के लिए
			iii) 30 वर्षीय ₹ 7,000 करोड़ के लिए
5	02 - 06 नवम्बर, 2020	27,000	i) 02 वर्षीय ₹ 3,000 करोड़ के लिए
			ii) 10 वर्षीय ₹ 12,000 करोड़ के लिए
			iii) एफआरबी ₹ 3,000 करोड़ के लिए
			iv) 40 वर्षीय ₹ 9,000 करोड़ के लिए
6	16 - 20 नवम्बर, 2020	27,000	i) 05 वर्षीय ₹ 8,000 करोड़ के लिए
			ii) 14 वर्षीय ₹ 12,000 करोड़ के लिए
			iii) 30 वर्षीय ₹ 7,000 करोड़ के लिए
7	23 -27 नवम्बर, 2020	27,000	i) 02 वर्षीय ₹ 3,000 करोड़ के लिए
			ii) 10 वर्षीय ₹ 12,000 करोड़ के लिए
			iii) एफआरबी ₹ 3,000 करोड़ के लिए
			iv) 40 वर्षीय ₹ 9,000 करोड़ के लिए
8	30 नवम्बर, 2020 से 04 दिसम्बर, 2020	27,000	i) 05 वर्षीय ₹ 8,000 करोड़ के लिए
			ii) 14 वर्षीय ₹ 12,000 करोड़ के लिए
			iii) 30 वर्षीय ₹ 7,000 करोड़ के लिए
9	07 - 11 दिसम्बर, 2020	27,000	i) 02 वर्षीय ₹ 3,000 करोड़ के लिए
			ii) 10 वर्षीय ₹ 12,000 करोड़ के लिए
			iii) एफआरबी ₹ 3,000 करोड़ के लिए
			iv) 40 वर्षीय ₹ 9,000 करोड़ के लिए
10	14 - 18 दिसम्बर, 2020	27,000	i) 05 वर्षीय ₹ 8,000 करोड़ के लिए
			ii) 14 वर्षीय ₹ 12,000 करोड़ के लिए
			iii) 30 वर्षीय ₹ 7,000 करोड़ के लिए

क्र. सं.	नीलामी का सप्ताह	राशि (करोड़ रुपये)	प्रतिभूति-वार आबंटन
11	21 - 25 दिसम्बर, 2020	27,000	i) 02 वर्षीय ₹ 3,000 करोड़ के लिए
			ii) 10 वर्षीय ₹ 12,000 करोड़ के लिए
			iii) एफआरबी ₹ 3,000 करोड़ के लिए
			iv) 40 वर्षीय ₹ 9,000 करोड़ के लिए
12	28 दिसम्बर, 2020 से 01 जनवरी 2021	27,000	i) 05 वर्षीय ₹ 8,000 करोड़ के लिए
			ii) 14 वर्षीय ₹ 12,000 करोड़ के लिए
			iii) 30 वर्षीय ₹ 7,000 करोड़ के लिए
13	04-08 जनवरी, 2021	27,000	i) 02 वर्षीय ₹ 3,000 करोड़ के लिए
			ii) 10 वर्षीय ₹ 12,000 करोड़ के लिए
			iii) एफआरबी ₹ 3,000 करोड़ के लिए
			iv) 40 वर्षीय ₹ 9,000 करोड़ के लिए
14	11-15 जनवरी, 2021	27,000	i) 05 वर्षीय ₹ 8,000 करोड़ के लिए
			ii) 14 वर्षीय ₹ 12,000 करोड़ के लिए
			iii) 30 वर्षीय ₹ 7,000 करोड़ के लिए
15	18 - 22 जनवरी, 2021	27,000	i) 02 वर्षीय ₹ 3,000 करोड़ के लिए
			ii) 10 वर्षीय ₹ 12,000 करोड़ के लिए
			iii) एफआरबी ₹ 3,000 करोड़ के लिए
			iv) 40 वर्षीय ₹ 9,000 करोड़ के लिए
16	25 - 29 जनवरी, 2021	27,000	i) 05 वर्षीय ₹ 8,000 करोड़ के लिए
			ii) 14 वर्षीय ₹ 12,000 करोड़ के लिए
			iii) 30 वर्षीय ₹ 7,000 करोड़ के लिए
कुल		4,34,000	

2. अभी तक कैलेण्डर द्वारा कवर की गई सभी नीलामियों में अप्रतियोगी बोली योजना की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसके तहत अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत निर्दिष्ट फुटकर निवेशकों के लिए आरक्षित रहेगा।

3. विगत की भांति भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार, बाजार के उद्विकास परिस्थितियों एवं अन्य प्रासंगिक कारकों, उपर्युक्त कैलेण्डर में अधिसूचित राशि, निर्गमन तिथि, परिपक्वता आदि में आशोधन लाने और अमानकीकृत परिपक्वता वाले लिखतों, अस्थिर दर वाले बांड (एफआरबीओ) एवं सीपीआई मुद्रास्फीति संबद्ध बांड सहित विभिन्न तरह के बांड लिखतों को जारी करने का अधिकार लोचशीलता के साथ उभरती बाजार दशाओं तथा अन्य संगत कारकों और बाजार नोटिस को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार पर निर्भर करेगा। परिस्थिति के अनुसार कैलेण्डर बीच में आने वाले छुट्टी सहित कई कारणों से परिवर्तनाधीन है। उन परिवर्तनों को प्रेस विज्ञप्ति द्वारा सूचित किया जाएगा।

4. भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार के पास नीलामी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी एक या उससे ज्यादा प्रतिभूतियों पर 2000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त अभिदान प्रतिधारित करने का 'ग्रीन-शू' ऑप्शन प्रयोग करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

5. भारतीय रिजर्व बैंक महीने के हर तीसरे सोमवार को नीलामी के माध्यम से प्रतिभूतियों के स्विच का भी आयोजन करेगा। यदि तीसरे सोमवार की छुट्टी है, तो महीने के चौथे सोमवार को स्विच नीलामी आयोजित की जाएगी।

6. दिनांकित प्रतिभूति की नीलामी, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना सं. एफ.संख्या. 4(2)-डब्ल्यू एण्ड एम/2018, तारीख 27 मार्च 2018, समय-समय पर यथासंशोधित, में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन की जाएगी।

भारत सरकार,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
नार्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली-110001

दिनांक: 30 सितम्बर, 2020